न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./3656/2003/बीकानेर

1– नानूराम मृतक जरिए वारिसान–
  1/1. मु0 मूलीदेवी बैवा नानूराम
  1/2. दीपाराम पुत्र नानूराम
  1/3. ओमप्रकाश पुत्र नानूराम
  1/4. नारायणराम पुत्र नानूराम
  1/5. चन्दूराम पुत्र नानूराम
  1/6. गोमती पुत्री नानूराम
  1/7. केशरदेवी पुत्री नानूराम
  1/8. लक्ष्मी पुत्री नानूराम
  समस्त जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

2– मु0 दल्ली बैवा हीराराम जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर। (लाऔलाद फौत)

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– रूपाराम पुत्र उदाराम तथाकथित खोलायत मोतीराम जाति जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर जरिए वारिसान–
  1/1. श्योगोपाल पुत्र रूपाराम जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
  1/2. गोपीकिशन पुत्र रूपाराम जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
  1/3. तुलसीराम पुत्र रूपाराम जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
  1/4. कोशल्या पुत्री रूपाराम पत्नी रेखाराम जाट निवासी वार्ड नं0 6 सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
  1/5. हीरादेवी पुत्री रूपाराम पत्नी सुरजाराम जाट निवासी वार्ड नं0 6 सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
  1/6. गजानंद पुत्र रूपाराम जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर
  1/7. मु0 रूकमा देवी बेचा रूपाराम जाट निवासी सोमलसर तहसील नोखा जिला बीकानेर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जी नोखा जिला बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

उपस्थितः–

श्री दुनीचंद व श्री जुगल किशोर पंत, अधिवक्तागण, अपीलार्थीगण
श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता, रैस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 30-09-2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या-06/2003 बउनवानी नानूराम व अन्य बनाम रूपाराम व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30-06-2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रत्यर्थीगण के पूर्वज रूपाराम पुत्र उदाराम तथाकथित मोतीराम उम्र 15 साल ने एक वाद जरिए संरक्षक मु0 चौथी बेवा लालूराम निवासी सोमलसर तह0 नोखा जिला बीकानेर ने प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद सहखातेदार घोषित करने व अस्थाई निषेधाज्ञा का उपखंड अधिकारी, नोखा के न्यायालय में पेश कर कथन किया कि वादी एंव प्रतिवादी नं0 1, 2, व 3 खसरा नं0 74 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा वाकै ग्राम सोमलसर का खातेदार काश्तकार है। वादी रूपाराम मु0 कानी बैवा मोतीराम का खोलायत पुत्र है। वाद मे वादी ने घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी की जावे कि वह खेत खेत नं0 78 रब्बा 42 बीघा का सहखातेदार है तथा मु0 दल्ली व कानीं के द्वारा अपीलान्ट नानूराम के हक में 12-02-75 को किया गया बैचाननामा वादी रूपाराम के हक में बेअसर है तथा निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे ताकि प्रतिवादीगण उसे उसके खातेदारी भूमि से बेदखल नहीं करे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं है वह खोलायत पुत्र भी नहीं है तथा उसकी उम्र वाद के समय 08 वर्ष थी। वह अपने पिता उदाराम के साथ सोमलसर में रहता है इस कारण उक्त वाद खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.09.1977 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15.11.1979 से प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में विचारण न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 15.01.2003 से वादी को विवादित आराजी नया खसरा खसरा नंबर 392 रकबा 10.67 है0 (पुराना खसरा नम्बर 74 रकबा 42बीघा 04बिस्वा के स्थान पर) में सहखातेदार घोषित करते हुए घोषणात्मक डिक्री प्रदान कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित

उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30-06-2003 से अपील खारिज कर दी। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4- विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बनायी गयी तनकी संख्या-1 कि वादी रूपाराम विवादग्रस्त आराजी का खातेदार है इस बाबत् वादी के द्वारा वाद पेश नहीं किया गया है मात्र गोदनामें के आधार पर दर्ज किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय ने रूपाराम को मु0 कानी द्वारा गोद लिया जाना माना है किन्तु उसने स्वयं अपने बयानों में खोलानामा को फर्जी बताया है तथा रूपाराम को गोद नहीं लेना बताया है। वादी अपनी भुआजी के संरक्षकता में रहता था और वाद करते समय कब्जे में नहीं था यह विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि वादी घोषणात्मक वाद करते समय वादी कब्जे में नहीं हो तो कब्जे बाबत् दादरसी का वाद भी प्रस्तुत करता, इस कानूनी बिन्दु पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने ध्यान दिए बिना ही निर्णय पारित कर दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जावे।

5- विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट का तर्क है कि जब दावा पेश हुआ उस समय राजस्व रिकार्ड में हम सहकाश्तकार थे और जब जमीन का बेचान हुआ उस समय के रेवेन्यू रिकार्ड में तीन सहकाश्तकार थे परन्तु जमीन दो व्यक्तियों ने ही बाले बाले बेच दी, जोकि कानूनन अवैध है। रूपाराम मु0 कानी का गोद पुत्र है गोदनामा सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अव्यस्क की सम्पत्ति को माता बिना अनुमति के विक्रय नहीं कर सकती। यह खौलानामा कानी ने अपने पति के द्वारा रूपाराम को गोद लेने की घोषणा के बाबत् है। रजिस्ट्री की पुश्त पर उस समय के नियमों के तहत पंजीकृत है और सारा अंकन है। बीकानेर जिले में माईनर व मेजर की परंपरा लागू नहीं होती है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किए गए समवर्ती आदेश विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जाए।

6- हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7- प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त वाद रूपाराम की ओर से संरक्षक मु0 चौथी की ओर से रूपाराम की उम्र 15वर्ष बताते हुए दिनांक

12-03-1975 को क्रेता नानूराम, मु0 दल्ली, मु0 कानी व राजस्थान राज्य के विरूद्ध प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 74 रकबा 42बीघा 04बिस्वा में सहखातेदार की घोषणा और बैचाननामा दिनांक 12-02-1975 बहक प्रतिवादी-1 बमुकाबिले वादी कलम अदम व बेअसर और स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा।

8- प्रकरण में मु0 कानी बेवा मोतीराम द्वारा एक गोदनामे की घोषणा दिनांक 21-12-1973 को पंजीबद्ध करवाई, जिसमें उसने रूपाराम को घोषणा के पंजीयन से पूर्व से बचपन से ही गोद लेना बता कर पंजीबद्ध कराई, जिसके फलस्वरूप सम्वत् 2036-2039 जिसको अग्रेजी सन् में फलित करने पर 1979 फलित होता है। उक्त वर्षो की जमाबन्दी में सहखातेदार मु0दल्ली, मु0 कानी और रूपाराम खसरा नम्बर 74 के बहिस्सा बराबर काश्तकार खातेदार है, जो प्रदर्श-1 से प्रकट होता है।

दिनांक 12-02-1975 को मु0 दल्ली, मु0 कानी द्वारा खसरा नम्बर 74 की सम्पूर्ण भूमि को नानूराम के हक में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख विक्रय की गयी, जो प्रदर्श-4 है, जिसके परिणामस्वरूप यह विवाद उत्पन्न हुआ, जिसमें निम्न **विधिक बिन्दू** उत्पन्न होता है-

9- **विधिक बिन्दू - क्या अव्यस्क की सम्पत्ति को उसका संरक्षक न्यायालय की बिना अनुमति के विक्रय करने के लिए सक्षम है, यदि नहीं तो फिर विक्रय विलेख जो बिना अनुमति के निष्पादित हुआ उस दशा में उस विक्रय विलेख का क्या विधिक बल है ?**

10- पत्रावली एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रदर्शित करायी गयी जमाबंदी व खसरा गिरदावरी संवत् 2036-2039 में मु0 दल्ली व कानी के साथ-साथ वादी रूपाराम सहखातेदार बहिस्सा बराबर दर्ज था। उपरोक्त विक्रम संवत् की गणना करने पर सन् 1979 फलित होता है, अर्थात् 1979-80 में वादी खसरा नंबर 74 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा में 1/3 हिस्से का सहखातेदार था। वादी ने अपने आप को मु0 कानी का गोद पुत्र होना बताया है और गोदनामा दिनांक 21.12.1973 को निष्पादित होना बताया है। उसके उपरांत संवत् 2036 सन् 1979 में वादग्रस्त भूमि में वादी सहखातेदार है। उपरोक्त वाद प्रस्तुत करते समय सन् 1975 वादी ने अपनी उम्र 15 वर्ष होना बतायी है, जो गोदनामा निष्पादन की दिनांक 21.12.1973 के समय वादी की उम्र 13 वर्ष फलित होती है, जिसके मुताबिक सन् 1975 में वादी नाबालिक था। वादी की माता मु0 कानी जिसका वादी तथाकथित गोदपुत्र है प्रतिवादी संख्या- 3 व प्रतिवादी संख्या- 2 दल्ली द्वारा दिनांक 12.02.1975 को प्रतिवादी संख्या- 1 नानूराम के हक में संपूर्ण भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित कराया गया है। गोदनामा किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया गया हो, ऐसा प्रकट नहीं होता है।

11- अब विक्रय विलेख के सम्बन्ध में विचार करे तो विक्रय विलेख एक संविदा है और वादी वर्ष 1975 में अव्यस्क था और अव्यस्क की ओर से उसके संरक्षक द्वारा संविदा की जा सकती है। वादी स्वयं अव्यस्क होने से संविदा करने में सक्षम नहीं था। विक्रय विलेख दिनांक 12.02.1975 का अवलोकन करने पर निम्न स्थिति प्रकट होती है- दिनांक 12-02-1975 को जो विक्रय विलेख अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित हुआ और मु. दल्ली व मु0 कानी द्वारा उपरोक्त विक्रय विलेख अपीलान्ट नानूराम के हक में निष्पादित कराया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में स्वयं के द्वारा दर्ज की गयी उम्र की गणना करने पर विक्रय विलेख सन् 1975 में निष्पादित कराते समय रूपाराम नाबालिक था और नाबालिक की ओर से कोई भी संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति उसके माता-पिता है। यदि रूपाराम को दिनांक 21-12-1973 को तथाकथित गोदनामें की पालना में मु0 कानी का गोद पुत्र माना जावे तो भी विक्रय विलेख दिनांक 12-02-1975 के समय रूपाराम नाबालिक होना स्थिर होता है और नाबालिक की ओर से उसकी माता मु0 कानी संविदा करने के लिए सक्षम थी, पिता मोतीराम उस समय जीवित नहीं था। इस प्रकार तथाकथित विक्रय विलेख दिनांक 12-02-1975 निष्पादन के समय वादी रूपाराम नाबालिक था और उसकी ओर से उसकी गोद माता मु0 कानी संविदा करने के लिए सक्षम थी और विक्रय विलेख एक संविदा है।

12- सम्वत् 2036-2039 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर 74 में रूपाराम सहखातेदार था और अपने आप को मु0 कानी का गोदपुत्र बताया है। रजिस्ट्री दिनांक 12-02-1975 के समय रूपाराम का नाबालिक होना विवादित नहीं है। नाबालिक की सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 (जिसे आगे अधिनियम, 1956 कहा जावेगा) इस प्रकरण में आकर्षित होती है, जिसमें हिन्दू अव्यस्क के नैसर्गिक संरक्षक शब्द में दत्तक माता पिता समाहित है। इस सम्बन्ध में धारा -7 निम्न प्रावधान करती है-

धारा-7 दत्तक पुत्र के नैसर्गिक संरक्षक - ऐसे दत्तक पुत्र की, जो अप्राप्तवय हो, नैसर्गिक संरक्षकता दत्तक ग्रहण पर दत्तक पिता और उसके पश्चात् दत्तक माता को संक्रान्त हो जाती है।

इस प्रकार दत्तक माता पिता नैसर्गिक संरक्षक के समान है। अब नैसर्गिक संरक्षक को अव्यस्क की सम्पति के बारे में क्या अधिकार होगे? इस बारे में **अधिनियम 1956 की धारा 8(2) यह प्रावधान करती है कि नैसर्गिक संरक्षक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना अव्यस्क की स्थावर सम्पत्ति का विक्रय नहीं कर सकता,**

हस्तगत प्रकरण में दिनांक 12-02-1975 को मु0 कानी जो रूपाराम की दत्तक माता है, रूपाराम के अव्यस्क की अवस्था में विवादित आराजी विक्रय की गयी है, यह विक्रय विलेख न्यायालय की अनुमति से निष्पादित हुआ हो, ऐसा विक्रय विलेख प्रदर्श-डी-4 के अवलोकन से प्रकट नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विक्रय विलेख मु0 कानी द्वारा वादी रूपाराम

के हिस्से सहित नानूराम के हक में निष्पादित कराया, जो अधिनियम की धारा 8(3) की मंशा के अनुसार अव्यस्क की या उसके हित के अधीन दावा करने वाले की प्रेरणा पर **शून्यकरणीय** है। शून्यकरणीय दस्तावेज तब तक प्रभावशील रहता है, जब तक की उसे सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं करा दिया जाता। उपरोक्त विक्रय विलेख दिनांक 12-02-1975 जो न्यायालय की बिना अनुमति के अव्यस्क रूपाराम की सम्पत्ति के सम्बन्ध में मु0 कानी द्वारा निष्पादित कराया गया है, यह समव्यवहार और इस विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जब तक विक्रय विलेख दिनांक 12-02-1975 को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा उपरोक्त आधार की यह अव्यस्क की सम्पत्ति के समव्यवहार से सम्बन्धित है और न्यायालय की अनुमति के बिना निष्पादित हुआ, सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक उपरोक्त विक्रय विलेख के अस्तित्व में रहते वादी को राजस्व न्यायालय द्वारा सहखातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उपरोक्त विक्रय विलेख दिनांक 12-02-1975 तब तक विधिक बल रखता है जब तक की उसे सक्षम न्यायालय द्वारा वादी के हिस्से की हद तक शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता और विक्रय विलेख को शून्य घोषित करने के लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है।

13- अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से यह तर्क रहा है कि मु0 कानी ने रूपाराम को गोद नहीं लिया। इस सम्बन्ध में हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 16 दत्तक से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों के बारे में उपधारणा विहित करती है, जिसके अनुसार न्यायालय यह उपधारण करेगा कि दत्तक इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार लिया गया, जब तक की उसे नासाबित नहीं कर दिया गया। यद्यपि मु0 कानी ने अपने बयानों में दत्तक लेने से इन्कार किया है लेकिन लिखित और रजिस्ट्रीकृत/दस्तावेजो के सामने मौखिक साक्ष्य अपवर्जित होती है। गोदनामा अगर विधितः निष्पादित नहीं है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है।

14- इस प्रकार रजिस्टर्ड गोदनामें के अस्तित्व में रहते हुए वादी को गोदपुत्र होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। जब तक की गोदनामा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित नहीं कर दिया जाता। अपीलार्थी का वादपत्र में कोई काउन्टर क्लेम नहीं है। गोदनामें के विद्यमान रहते हुए मु0 कानी प्रतिवादी द्वारा जो विक्रय विलेख प्रतिवादी संख्या-1 नानूराम के हक में निष्पादित कराया है। उक्त विक्रय विलेख जो बिना न्यायालय की अनुमति के निष्पादित है वह वादी की प्रेरणा पर शून्यकरणीय है, जिसे सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित नहीं कराया गया है। उक्त विक्रय विलेख के विद्यमान रहते हुए वादी को विवादित आराजी का सहखातेदार उपरोक्त विवेचनानुसार घोषित नहीं किया जा सकता।

15– प्रस्तुत प्रकरण में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपरोक्त विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए वादी रूपाराम को विवादित आराजी में सहखातेदार घोषित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की गयी है। उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

16– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील संख्या–06/2003 बउनवानी नानूराम व अन्य बनाम रूपाराम व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30–06–2003 एवं विचारण न्यायालय उपखंड अधिकारी, नोखा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–01–2003 को अपास्त किया जाता है और वादी रूपाराम की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य